न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2024/36
मिसलनम्बर– 13 / 2024

राधाकिशन प्रजापति पुत्र स्वर्गीय श्री मांगीलाल जी प्रजापति आयु 66 वर्ष जाति प्रजापति निवासी गोयल धर्मशाला के सामने वाला रोड गोले वाली मस्जिद के पास रामचन्द्रपुरा छावनी पुलिस थाना गुमानपुरा कोटा हाल निवासी सोलग्राम लाला का मकान हनुमान जी के मन्दिर के पास सूर्यनगर ढकनिया स्टेशन के पास कोटा

प्रार्थी।

बनाम

1.सुरेश कुमार पुत्र श्री राधाकिशन आयु 27 वर्ष जाति प्रजापति निवासी गोयल धर्मशाला के सामने वाला रोड गोले वाली मस्जिद के पास रामचन्द्रपुरा छावनी पुलिस थाना गुमानपुरा कोटा
2.सन्दीप कुमार पुत्र श्री राधाकिशन आयु 24 वर्ष जाति प्रजापति निवासी गोयल धर्मशाला के सामने वाला रोड गोले वाली मस्जिद के पास रामचन्द्रपुरा छावनी पुलिस थाना गुमानपुरा कोटा

–:निर्णय:–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक....17/9/24

उपस्थितिः–

1.श्री हनीफ मोहम्मद प्रार्थीगण अधिवक्ता।

2.श्री अजय नन्दवाना अप्रार्थीगण अधिवक्ता

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् पत्रावली निर्णय प्रार्थना–पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीपक्ष द्वारा निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी 66 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति है, प्रार्थी मजदूरी करता था, तथा प्रार्थी एवं उसकी पत्नि स्वर्गीय श्रीमति ललिता बाई ने मजदूरी करके एक मकान वाके गोयल धर्मशाला के सामने वाला रोड, गोले वाली मस्जिद के पास, रामचन्द्रपुरा, छावनी, कोटा में बनाया था, प्रार्थी की माता श्रीमति छोटी बाई भी प्रार्थी के पास ही निवास करती थी, प्रार्थी के दो पुत्र है, जो प्रतिपक्षीगण है, तथा प्रतिपक्षी क्रम 1 का विवाह हो चुका है, तथा प्रतिपक्षी क्रम 2 अविवाहित है। प्रार्थी की पत्नि श्रीमति ललिता बाई का देहावसान दिनांक 27–06–2023 को हो चुका है, प्रार्थी की पत्नि के देहावसान के पश्चात प्रतिपक्षी क्रम 1 एवं उसकी पत्नि ने प्रार्थी के साथ दुर्व्यवहार करना प्रारम्भ कर दिया, एवं प्रार्थी को गाली–गलौच करने लग गये, प्रार्थी की पत्नि के देहावसान के पश्चात प्रार्थी अकेला हो गया, तथा प्रार्थी की पत्नि के देहावसान के पश्चात प्रतिपक्षी क्रम 1 एवं उसकी पत्नि के द्वारा गाली–गलौच एवं घर से बाहर निकल जाने की धमकीयां देने के कारण प्रार्थी मानसिक अवसाद में चला गया, चूंकि प्रार्थी एवं उसकी पत्नि ने मेहनत –मजदूरी कर उक्त

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

मकान को बनाया था, तथा प्रार्थी ने अपनी स्वअर्जित आये से उक्त मकान को बनाया था, प्रार्थी वर्तमान में 66 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति है, तथा प्रार्थी की पत्नि का देहावसान हो जाने से प्रार्थी अकेला एवं बेसहारा हो गया था। प्रार्थी के पुत्रों एवं पुत्रवधू के द्वारा प्रार्थी के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था, प्रार्थी अपनी वृद्धावस्था के कारण कोई काम–धन्धा नहीं कर पा रहा है, और स्वयं की कोई कमाई नहीं होने से प्रार्थी अपने पुत्रों पर ही निर्भर हो गया, तथा प्रार्थी के खाने–पीने की समस्या हो गई। प्रार्थी के पास कोई कमाई अथवा आय का साधन नहीं होने के कारण प्रार्थी रोटी–पानी से मोहताज हो गया, तथा प्रतिपक्षीगण व उसकी पत्नि ने प्रार्थी को खाना देने से इनकार कर दिया है, इस प्रकार प्रार्थी इस वृद्धावस्था में अपने पुत्रों पर ही निर्भर हो गया। प्रतिपक्षी क्रम 1 शराब, गांजा, चरस आदि पीता है, तथा शराब के नशे में रोजाना प्रार्थी के साथ मारपीट करता है, प्रतिपक्षी क्रम 1 की पत्नि ने प्रार्थी की रोटी बनाने एवं रोटी देने से इनकार कर दिया है, प्रतिपक्षी को घर से निकल जाने के लिये कहने लगे, प्रार्थी अपनी वृद्ध माता श्रीमति छोटी बाई एवं स्वयं के लिये खाने–पीने का इन्तजाम करने मे असक्षम हो गया है, इस प्रकार प्रतिपक्षी क्रम 1 व उसकी पत्नि प्रार्थी व उसकी माता को घर से निकल जाने की धमकीयां देते है, प्रार्थी की पत्नि का देहावसान दिनांक 27–06–2023 को हो जाने के पश्चात प्रतिपक्षी क्रम 1 व उसकी पत्नि ने प्रार्थी व उसकी मां को उसकी पत्नि के बाहरवें की रस्म होने से पहले से ही लड़ाई–झगडा एवं मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया, इस प्रकार प्रार्थी की वृद्ध मां को उसके भाई मदनलाल के पास निवास करना पड़ रहा है, तथा प्रार्थी को स्वयं के घर से भगा देने के पश्चात प्रार्थी को किराये के मकान में निवास करना पड रहा है। इस प्रकार प्रतिपक्षीगण ने प्रार्थी को उसके स्वय् के मकान से बाहर निकाल दिया है, जिसके कारण प्रार्थी किराये के मकान में निवास कर रहा है, तथा प्रार्थी के पास अपने जीवन निर्वाह के लिये कोई आय का साधन नहीं है, तथा प्रतिपक्षीगण द्वारा प्रार्थी की उपरोक्त सम्पति पर कब्जा करके प्रार्थी का भरण–पोषण करना बन्द कर दिया, तथा प्रतिपक्षीगण प्रार्थी का किसी प्रकार से कोई भरण–पोषण नहीं कर रहे है, इसलिये प्रार्थी को प्रतिपक्षीगण से अपने उपरोक्त सम्पति मकान कब्जा प्राप्त करना एवं प्रतिपक्षीगण से उक्त मकान खाली करवाया जाना आवश्यक हो गया है, ताकि प्रार्थी अपने मकान में किरायेदार रखकर किराये से प्राप्त आमदनी से अपना गुजारा कर सके, तथा प्रतिपक्षीगण का दायित्व है कि प्रतिपक्षीगण प्रार्थी की इस वृद्धावस्था में प्रार्थी का भरण–पोषण करे, किन्तु प्रतिपक्षीगण प्रार्थी का भरण–पोषण नहीं कर रहे है, इस कारण प्रार्थी प्रतिपक्षीगण से अपने भरण –पोषण के लिये प्रत्येक प्रतिपक्षी से 10,000/– रूपये मासिक इस प्रकार कुल 20,000/–रूपये मासिक भरण–पोषण राशि प्राप्त करने का अधिकारी है, जिसके लिये प्रार्थी माननीय न्यायालय के समक्ष यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर रहा है। प्रतिपक्षीगण प्रार्थी के मकान में रहकर अपना जीवन निर्वाह कर रहे है, तथा प्रतिपक्षीगण को अच्छी आमदनी होती है, इस प्रकार प्रतिपक्षीगण प्रार्थी को 20,000/–रूपये मासिक भरण–पोषण अदा करने में पूर्णतया सक्षम है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिपक्षीगण से प्रार्थी की सम्पति उक्त मकान वाके गोयल धर्मशाला के सामने वाला रोड, गोले वाली मस्जिद के पास, रामचन्द्रपुरा, छावनी, कोटा (राज०) को खाली करवाकर प्रार्थी को कब्जा दिलवाया जावे, तथा प्रतिपक्षीगण से प्रार्थी के भरण–पोषण के लिये प्रत्येक प्रतिपक्षी से 10,000/– रूपये मासिक इस प्रकार कुल 20,000/–रूपये मासिक भरण–पौषण राशि दिलाये जाने बाबत आदेश प्रदान करने की अनुकम्पा करे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थीगण का कथन है कि वर्णित मकान अप्रार्थीगण की माता द्वारा अपनी मेहनत मजदूरी से बनाया गया था,

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

जबकि प्रार्थी हमेशा दारू पीकर पूरे घर का माहौल खराब कर न्यूसेंस पैदा करता है तथा कोई काम धन्धा नहीं करता था जबकि पूरे परिवार का पालन– पोषण अप्रार्थीगण की माता जी द्वारा किया गया था। प्रार्थी की पत्नी व अप्रार्थीगण की माता का देहान्त होने के पूर्व बहुत ज्यादा बीमार थी। प्रार्थी द्वारा उसकी कभी देखरेख नही की गई एवं अप्रार्थीगण द्वारा ही अपनी माता का पूरा ख्याल रखा गया उस समय भी प्रार्थी दारू पीकर और पूरे परिवार में गालियां निकालता एवं पूरे मकान में भय व आंतक का माहौल पैदा कर देता था। बीमारी की अवस्था में भी प्रार्थी द्वारा अपनी पत्नी से मारपीट की गई । अप्रार्थीगण की माता का देहांत होने के बाद सारे कियाकर्म अप्रार्थीगण द्वारा किए गयें। देहांत के बाद अप्रार्थीगण व अपने मामा के लडके सतीश के साथ कियाकर्म करने हरीद्वार गये, जब वहा से कियाकर्म कर के वापस आये तो प्रार्थी घर पर नहीं था, घर छोड कर अपनी माँ को लेकर चला गया सारे दिन तक के कियाकर्म अप्रार्थी द्वारा ही किये गये तथा प्रार्थी 12 के दिन समाज को मुंह दिखाने के लिये घर पर आया जेसे ही 12 दिन के काम पूरा हुआ और घर छोड कर चला गया उसने अपने बच्चो (अप्रार्थीगण) से बात तक नहीं की तथा मकान के बाहर जाकर चिल्लाने लगा कि मुझे तो मकान बेचना है तुम सब घर से निकल जाओ नहीं तो तुम्हे कभी भी मार सकता हूं। प्रार्थी द्वारा न तो अपने पति धर्म का निर्वहन किया और ना ही अपने पिता धर्म का निर्वहन किया, प्रार्थी ढकनिया स्टेशन पर जाकर अलग से एक कमरा लेकर रह रहा है जबकि अप्रार्थीगण आज भी अपने पास रखकर उसकी सेवा सुश्रूषा व भरण पोषण करने को तैयार हैं। लेकिन प्रार्थी दारू पीकर इतना कूर व हिसंक हो जाता है कि उसने अपनी पत्नी को उसकी बीमारी स्थिति में भी मारपीट की, जब अप्रार्थीगण अपनी माँ को बचाने आये तो प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के साथ पाईप से मारपीट की गई जिससे आप्रार्थी क्रम–1 के कंधे पर चोट आई लेकिन फिर भी अप्रार्थीगण ने पिता होने के कारण कोई शिकायत नहीं की इससे पूर्व भी प्रार्थी ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की गई तब अप्रार्थी बचाने आया तब पडौसीयों ने पुलिस को फोन कर के बुलाया, तब पुलिस प्रार्थी को गिरफ्तार कर ले गये इस प्रकार प्रार्थी आदतन नशे का आदी है। अप्रार्थीगण ने आज तक शराब, गांजा, चरस का सेवन किया है ओर ना ही प्रार्थी के साथ कभी मारपीट की है और ना ही अप्रार्थी न0 1 की पत्नी द्वारा प्रार्थी के साथ अभद्र व्यवहार किया न ही उनको खाने पीने के लिये मना किया, आज भी अप्रार्थी क्रम–1 व उसकी पत्नी एवं अप्रार्थी क्रम–2 प्रार्थी की सेवा कर अपने परिवार के साथ रखने को तैयार है प्रार्थी स्वयं घर छोड़ कर गया है उनको किसी ने घर से नहीं निकाला, प्रार्थी अपनी पत्नी के देहांत के बाद क्रियाकर्म जैसे महत्वपूर्ण काम को छोड कर चला गया इस प्रकार प्रार्थी अपनी पत्नी से नफरत करता था और अप्रार्थीगण से भी नफरत करता है। प्रार्थी ऐनकेन प्रकारेन अप्रार्थीगण को जो कि उसकी औलादे है एवं जिन्होने प्रार्थी व प्रार्थी की पत्नी की सेवा की है और आज भी प्रार्थी की सेवा करने, भरण पोषण करने को पूरी तरह से तैयार है यदि प्रार्थी अप्रार्थीगण के साथ निवास करे, और दारू व नशा नहीं कर शांति से निवास करें । जबकि प्रार्थी अप्रार्थीगण को मकान से बेदखल कर मकान को बेचान कर अप्रार्थीगण व उनके परिवार को रोड पर लाना चाहता है जबकि अप्रार्थी क्रम–1 पूरे परिवार का पालन–पोषण कर रहा है और अप्रार्थी क्रम–2 अभी पढ़ाई कर रहा है जिसका खर्चा भी स्वयं अप्रार्थी क्रम–1 ही वहन कर रहा हैं। जबकि प्रार्थी की दोहिती राधिका उर्फ रीया एवं दोहीता यशराज (प्रार्थी की पुत्री की लडकी व लडका है) जिनकी माता का देहांत हो जाने के बाद उनका पालन–पोषण भी अप्रार्थीगण की माता एवं स्वयं अप्रार्थी न० 1 द्वारा किया गया और आज भी अप्रार्थी न० 1 जिम्मेदारी को निभा रहा है, अप्रार्थी न० 1 छोटे भाई की पढाई करवा रहा है तथा अप्रार्थी क्रम –1 द्वारा प्रार्थी की पुत्रियों (स्वयं की बहनो) के ससुराल में होने वाले सामाजिक कार्यक्रमो में जाकर रस्मो रिवाज को पूरा करता आ रहा है प्रार्थी स्वयं ही मकान छोड कर अलग से निवास कर रहा है ऐसे मे प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
को.

किसी प्रकार का अलग से कोई भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है क्योंकि प्रार्थी यदि अप्रार्थीगण के साथ रहे तो वो सेवा करने को आज भी तैयार है भरण पोषण करने को तैयार है। प्रार्थी अपने नशे की पूर्ति के लिये अप्रार्थीगण पर दबाव बनाकर मकान को बेचना चाहता है जबकि मकान अप्रार्थीगण की माता एवं प्रार्थी की पत्नी ने स्वयं मेहनत मजदूरी कर के बनाया है इसलिये अप्रार्थीगण का भी मकान पर पूरा अधिकार है। प्रार्थी द्वारा उक्त मकान को किसी भी प्रकार से अप्रार्थीगण को मकान से बेखल करवाकर मकान को बेचना चाहता है जबकि प्रार्थी ने कभी भी पति व पिता होने के धर्म का पालन नहीं किया। जबकि प्रार्थी द्वारा उसकी पत्नी जिन्दा थी तब भी उनके साथ निर्दयता के साथ मारपीट की जाती रही है और उनके साथ बहुत ही कूरता व अत्याचार किया गया, यहां तक अप्रार्थीगण के साथ भी प्रार्थी द्वारा दारू पीकर मारपीट करता हैं फिर अप्रार्थीगण पिता होने के कारण कहीं कोई शिकायत नहीं करते, कई बार उक्त अत्याचारो को सहन करते रहे, 3–4 बार प्रार्थी को दारू पीकर अप्रार्थीगणो के साथ झगडा करने, पत्नी को मारपीट करने के कारण पुलिस द्वारा पकडा गया, दिनांक 24.07.2018 में प्रार्थी की पत्नी ने स्वयं के साथ अकारण ही दारू पीकर मारपीट करने, तंग व परेशान करने पर पुलिस अधीक्षक शहर कोटा को शिकायत दी गई हैं। अप्रार्थी नं. 1 ड्राईवरी की मजदूरी करता है 10 हजार रूप्ये मासिक कमा पाता है इतनी कम आय में अप्रार्थी नं0 1 पर बहन की संतानों का भरण पोषण आदि की सम्पूर्ण जिम्मेदारीयों को पूरा कर रहा है छोटे भाई अप्रार्थी नं0 2 की पढाई करवा रहा है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना की जाती है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारीज फरमाया जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्तागण द्वारा अपने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया।

उपरोक्तानुसार बाद बहस पत्रावली में निहित दस्तावेजों का अवलोकन एवं बहस में दर्शित तथ्यों पर मनन किया गया जिसके अनुसार प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के साथ बदसलूकी, गाली गलौच एवं मारपीट करने एवं प्रार्थी को मकान से बेदखल करने का कथन किया है परन्तु प्रार्थी द्वारा अपने वर्णित कथनों के सम्बंध में इस प्रकार का कोई भी दस्तावेज या सबूत या रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई जिससे प्रार्थी के कथनों को प्रमाणित किया जा सके। जिस कारण से प्रार्थी अपने उक्त कथनों को सिद्ध करने में असमर्थ रहे है। अतः प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को वर्णित मकान से बेदखल किये जाने की प्रार्थना स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। किन्तु न्यायहित में अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है वे प्रार्थी के साथ भविष्य में अभद्र व्यवहार एवं मारपीट ना करे एवं उपरोक्त वर्णित मकान गोयल धर्मशाला के सामने वाला रोड गोले वाली मस्जिद के पास रामचन्द्रपुरा छावनी कोटा में प्रार्थी के शांतिपूर्वक निवास, उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें। उपरोक्त मकान में रहने वाले किरायेदारों से प्रार्थी किराया प्राप्त करेगा इसमें अप्रार्थीगण किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नही करेगें।

उक्त निर्णय आज दिंनाक: 14/8/24 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी कोटा